



Neutral Citation No-2026:AHC:4728

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 5135 वर्ष 2025

अमरराज याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 8 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: मनोज कुमार यादव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. लंबे समय तक विचार-विमर्श के बाद, अधिवक्ता ने रिट याचिका की प्रार्थना संख्या-2 पर दबाव डाला है, जो यहां प्रस्तुत किया गया है: -

"ii) प्रतिपक्षी संख्या-2 को यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 12(2) के तहत बहाली आवेदन (सोनी बनाम दीप चंद) पर निर्णय लेने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जो 23.11.2022 (अनुलग्नक संख्या-9) से कुछ निर्धारित अवधि के भीतर लंबित है।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि समेकन के निपटान अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 07.11.2022 के आदेश के खिलाफ, प्रस्तुत याचिकाकर्ता ने 23.11.2022 को एक बहाली आवेदन को प्राथमिकता दी है, जो इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिपक्षी पहले ही उपस्थित हो चुका है और मामला अंतिम निर्णय के लिए तैयार है, इसके दाखिल करने की तारीख से लंबित है।

4. उपरोक्त मामले के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी किए जाने की स्थिति में स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. इस विवेचन में, जैसा कि उपर्युक्त है, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए, यह न्यायालय प्रस्तुत रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, चकबंदी के उप निदेशक (प्रतिपक्षी संख्या-2) को निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका को अंतिम रूप से निपटाने के लिए उचित समझता है, जिसके समक्ष उपर्युक्त मामला निपटान के लिए लंबित है, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से पांच महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से, अधिमानतः निर्णय लेना।

6. यह उम्मीद की जाती है कि यह कानून के अनुसार, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, एक तर्कसंगत और आख्यापक आदेश द्वारा तय किया जाना चाहिए।

7. मामले को सुलझाने से पहले, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बहाली आवेदन के लंबित रहने के दौरान अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना की है।

8. कहने की जरूरत नहीं है कि याचिकाकर्ता के लिए यह हमेशा खुला है कि वह संबंधित अदालत के समक्ष अंतरिम राहत के लिए एक उचित आवेदन पेश करे जहां बहाली आवेदन लंबित है। यदि ऐसा कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो संबंधित न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार शीघ्रता से निर्णय लिया जाएगा।

9. उपरोक्त निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

जनवरी 8, 2026

विनय

(दिनेश पाठक)